<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-11122023-250567 CG-MH-E-11122023-250567

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5020]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945

No. 5020]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

रेल मंत्रालय [पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 11 दिसम्बर 2023

का.आ. 5249(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 17 अगस्त 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिनियम संख्या का.आ. 3676(अ) तारीख 16 अगस्त 2023 जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य विशेष रेल परियोजना अर्थात, नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिनियम का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात "दैनिक भास्कर (हिंदी)", "स्वतंत्र एलान (हिंदी)" व "फ्री प्रेस (अंग्रेजी)" में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी जिला मंदसौर द्वारा, तारीख 30 सितम्बर 2023 को प्रकाशित किया गया था और, तहसील मल्हारगढ़ के ग्राम खात्याखेड़ी और पिपल्यापंथ में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है एवं टीलाखेड़ा में दो आपत्तियां प्राप्त हुई और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है;

7628 GI/2023 (1)

अत: अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ड कि उपधारा (2) के अनुसरण मे यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी |

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिला: मंदसौर

विशा . नवतार							
स.क्र .	प.न.ह.	खसरा	अर्जनीय भूमि	भूमि का	परिसम्पत्ति	भूमि मालिक का नामहितबद्ध व्यक्तियों के /	
		संख्या	का क्षेत्रफल	प्रकार सिंचित/		नाम	
			(हेक्टेयर में)	असिंचित			
तहसील:	: मल्हारगढ़						
ग्राम: खा	ात्याखेड़ी						
01	20	250	0.249	सिंचित	निरंक	उंकारलाल पिता भुवान जाति सुथार	
						निवासी बरखेड़ापंथ तहसील मल्हारगढ़	
		योग	0.249				
तहसील:	मल्हारगढ़						
ग्राम: पि	पल्यापंथ						
01	20	368/2/4	0.043	व्यपवर्तित	नीम-5, बबुल-1	राजेन्द्र कुमार, दिलीप कुमार, हरिश पिता	
				आवासीय	_	माणकलाल, कलावतीबाई पति माणकलाल	
						महाजन निवासी पिपलियामंडी तहसील	
						मल्हारगढ़	
		योग	0.043				
तहसील:	: मल्हारगढ़						
ग्राम: टी	लाखेड़ा						
01	20	99	0.048	व्यपवर्तित	नीम-1	विष्णु, हेमन्त पिता दिनेश कुमार अग्रवाल	
				व्यावसायिक		निवासी पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढ़	
02	20	97/1/1/1/1	0.048	व्यपवर्तित	निरंक	कौशल्याबाई बैवा बाबुलाल, हरीओम,	
				आवासीय		सुनिल, सुमित्रा पिता बाबुलाल जाति	
						महाजन निवासी पिपलियामंडी तहसील	
						मल्हारगढ़	
03	20	98/1	0.053	व्यपवर्तित	चीड पेड़-1	कौशल्याबाई बैवा बाबुलाल, हरीओम,	
				आवासीय		सुनिल, सुमित्रा पिता बाबुलाल जाति	
						महाजन निवासी पिपलियामंडी तहसील	
						मल्हारगढ़	
04	20	98/2	0.080	व्यपवर्तित	960 वर्ग फीट	माहेश्वरी समाज ट्रस्ट कोषाध्यक्ष डॉ. अरुण	
				आवासीय	पक्की नाली,	कुमार पिता जानकीलाल मुन्दडा निवासी	
					नारियल पेड - 1,	पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढ़	
					आम पेड़ - 1,		
					पीपल - 1, नीम		
					पौधा - 3, अनार		
					पौधा – 2, अमरूद		
					पौधा – 3,		

[भाग II—खण्ड ३(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

			सीताफल पौधा - 3, बीलपत्र पौधा - 1, निम्बू पौधा - 1	
	योग	0.229		

[फ़ा. सं. ई –ऑफिस E 259252-22]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता/ निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th December 2023

S.O. 5249(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3676 (E) dated the 16th August 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 17th August 2023 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 (A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Nimach-Ratlam Doubling Project in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Dainik Bhaskar (Hindi)", "Swatantra Elan (Hindi)" & "Free Press (English)" on 30th September 2023 by Sub Divisional Officer (Revenue) and competent Authority, Mandsaur (M.P.) under sub section (4) of section 20A of the said act;

And whereas, for Khatyakhedi and Piplyapanth village of Tehsil Malhargarh District Mandsaur, no objection received or village Tilakheda, two objections received to the Sub Divisional Officer (Revenue) and competent Authority, Mandsaur (M.P.);

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project – "Nimach-Ratlam Doubling Project" in Mandsaur District in the State of Madhya Pradesh.

Sr.	P.H.	Khasara	Area of	Type of Land	Assets	Name of landowner/Interested Person			
No.	No.	No.	Land to be	Irrigated/					
			acquired in	Unirrigated					
			Hact.	· ·					
Tehsi	Tehsil: Malhargarh								
Villag	Village: Khatyakhedi								
01	20	250	0.249	Irrigated	Nil	Unkarlal father Bhuvan caste Suthar			
						resident Barkhedapanth tehsil			
						Malhargarh			
		Total	0.249						
		10001	0.242						
Tehsil: Malhargarh									

Villag	Village: Piplyapanth								
01	20	368/2/4	0.043	Diverted Residential	Neem-5, Babul-1	Rajendra Kumar, Dilip Kumar, Harish father Manaklal, Kalavatibai husband Manaklal Mahajan resident Pipliamandi tehsil Malhargarh.			
		Total	0.043						
Tehsi	Tehsil: Malhargarh								
Villag	ge: Tilak	heda							
01	20	99	0.048	Diverted Industrial	Neem-1	Vishnu, Hemant father Dinesh Kumar Agarwal resident Pipliamandi tehsil Malhargarh			
02	20	97/1/1/1/1	0.048	Diverted Residential	Nil	Kaushalyabai Beva Babulal, Hariom, Sunil, Sumitra Father Babulal Caste Mahajan Resident Pipliamandi Tehsil Malhargarh			
03	20	98/1	0.053	Diverted Residential	Cheed Tree - 1	Kaushalyabai Beva Babulal, Hariom, Sunil, Sumitra Father Babulal Caste Mahajan Resident Pipliamandi Tehsil Malhargarh			
04	20	98/2	0.080	Diverted Residential	960 sqft. paved drain, Coconut tree - 1, Mango tree - 1, Peepal - 1, Neem plant - 3, Pomegranate plant - 2, Guava plant - 3, Custard apple plant - 3, Beelpatra plant - 1, Lemon plant - 1	Maheshwari Samaj Trust Treasurer Dr. Arun Kumar Father Jankilal Mundada resident Pipliamandi Tehsil Malhargarh			
		Total	0.229						

[F. No. E-Office E 259252-22]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer (Construction) III